राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1264/2011

भूपसिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, सूपर मार्केट, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 25.01.1992 से दिया गया। इसके पश्चात 18 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 08.12.1996 से दिया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति के स्थान पर नियमित नियुक्ति की दिनांक के आधार पर चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के आदेश पारित किये गये और अपीलार्थी को दिनांक 08.12.1996 के स्थान पर दिनांक 17.06.2000 से 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 17.06.2008 से दिया गया। यह भी आदेश पारित किये गये हैं कि संशोधन उपरान्त वसूली नहीं की जावे। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अवैधानिक तरीके से आलोच्य आदेश दिनांक 19.08.2011 पारित किया गया। जिसके द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 29.10.1992 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ एक वर्ष विलम्ब से दिया और 27 वर्षीय एसीपी का लाभ भी एक वर्ष विलम्ब से स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को दिये गये चयनित वेतनमान के लाभ में संशोधन कर एक वर्ष आगे बढाया जाना उचित नहीं है और इस आधार पर वसूली किया जाना भी उचित नहीं है। परिनिन्दा से दण्डित किये जाने के आधार पर पूर्व में दिये गये चयनित वेतनमान के लाभ को नहीं बदला जा सकता है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं

है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10–12–1997 के द्वारा 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 8–12–1996 से स्वीकृत किया गया था। उक्त चयनित वेतनमान स्वीकृत करते समय अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29–10–1992 के द्वारा दिये गये परिनिन्दा के दण्ड का प्रभाव दिखाये जाने से रह गया था, इसलिये आदेश दिनांक 19–08–2011 के द्वारा 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान का उक्त दण्ड का प्रभाव दिखाते हुए देयता दिनांक से एक वर्ष विलम्ब से दिनांक 8–12–1996 के स्थान पर दिनांक 8–12–1997 से स्वीकृत किया गया, क्योंकि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 27–6–2006 के अनुसार एक परिनिन्दा के दण्ड हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित किये जाने का प्रावधान है। अतः तद्नुसार ही अपीलार्थी को 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान एक वर्ष विलम्ब से देय है। अपीलार्थी को 27 वर्षीय तृतीय ए.सी.पी. नियमित नियुक्ति के आधार पर दिनांक 17–6–2008 से देय होती है लेकिन वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 31–12–2009 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अपीलार्थी को यदि पूर्व में चयनित वेतनमान किसी दण्ड के कारण या विभागीय जांच के फलस्वरूप प्रभावित हुआ है तो आगे स्वीकृत की जाने वाली ए.सी.पी. भी पिछले दण्डों के अनुरूप ही विलम्ब से देय होगी। अतः तद्नुसार ही अपीलार्थी को 27 वर्षीय तृतीय ए.सी.पी. भी देयता दिनांक से एक वर्ष विलम्ब से आदेश दिनांक 19–8–2011 द्वारा स्वीकृत की गयी है। आदेश दिनांक 19–8–2011 द्वारा की गयी कार्यवाही नियमानुसार है और वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 20–8–2010 एवं वित्त (नियम) विभाग के स्पष्टीकरण दिनांक 18–11–2010 के निर्देशों एवं नियमों के अनुरूप अपीलार्थी को संशोधित चयनित वेतनमान प्रदान किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. इस प्रकरण में अपीलार्थी केा द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 17.06.2000 से दिये जाने के आदेश दिये गये हैं एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 17.06.2008 से प्रदान किया गया था आलोच्य आदेश द्वारा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ को एक वर्ष विलम्ब से दिये जाने के आदेश पारित किये गये है। अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ पूर्व में दिनांक 17.06.2000 से दिया गया है। चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में केवल 7 वर्षो का पूर्व का रिकॉर्ड देखा जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण कुलदीप सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1998(3) डब्ल्यू एल सी पेज 1 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

we hold that for judging suitability for grant of first second and third selection grades the dates when an employee completes 9, 18 and 27 years of his service and APARs preceding 7 years of his entitlement would be relevant.

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए यदि दिनांक 17.06.2000 से पूर्व के 7 वर्षो का रिकॉर्ड देखे तो परिनिन्दा से दण्डित किये जाने का आदेश उन 7 वर्षो में अर्थात 1993 से 2000 के मध्य का नहीं है। बल्कि दिनांक 29.10.1992 का है। अतः दिनांक 29.10.1992 के आदेश का कोई प्रभाव 18 वर्षीय चयनित वेतमान के लाभ पर नहीं होता है। अतः दिनांक 29.10.1992 के परिनिन्दा के दण्ड के आधार पर18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एक वर्ष विलम्ब से किया जाना एवं इसी आधार पर 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एक वर्ष आगे किया जाना उचित नहीं है।

6. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2011 अपास्त किया जाता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि यदि उक्त आदेश दिनांक 19.08.2011 की पालना में अपीलार्थी से कोई वसूली की गयी है तो उस राशि को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ अपीलार्थी को लौटायी जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)